फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीण्डर उदयपुर जिला उदयपुर

श्रीमती पन्नीबाई बनाम विपक्षी : श्री परसराम व अन्य

मुकदमा – धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली संख्या : 14/24

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 03.11.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। अधिवक्ता वादी द्वारा साक्ष्यवादी शपथ पत्र वादी का पेश किया गया। शामिल फाईल रहे। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश है। प्रकरण में अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता वादी के कथनानुसार वादग्रस्त आराजीयात में वादी खातेदार है। वादग्रस्त आराजीयात में वादी खातेदार होकर आधिपत्यधारी है। प्रतिवादीगण का वादग्रस्त आराजीयात में किसी भी प्रकार से कोई हक, हिस्सा, अधिकार नही है लेकिन वादीया की वादग्रस्त भूमि के पडौस में प्रतिवादीगण की भूमि आ जाने के कारण प्रतिवादीगण आये दिन वादीया की भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा पैदा कर रहे तथा उक्त भूमि में कभी फसल को तो, कभी बाड, पेड आदि को नुकसान पहुचाते है तथा वादीया से लडाई झगडा करते है जिससे प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा वाद पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 अनुपस्थित रहे।

हमने अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। हमने पाया कि वादग्रस्त भूमि में वादी खातेदार है। प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार नहीं है। वादी द्वारा कथन कहा की प्रतिवादीगण वादी को जबरन बेदखल कर वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करने पर उतारू है। वादग्रस्त भूमि में वादी खातेदार है। वादग्रस्त आराजीयात में वादी खातेदार होने से वादी का हित निहीत हैं जिससे प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतित होता है। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—:: आदेश ::—

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता हैं कि मौजा पाणुन्द पटवार हल्का पाणुन्द भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर की खाता संख्या नया 116 की आराजी न. 749, 750, 764, 790, 820, 821, 822 किता 7 रकबा 0.7800 है. भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 वादी को जबरन बेदखल नही करें तथा वादी के उपयोग–उपभोग में बाधा पैदा नहीं करें तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश चन्द्र बैहेडिया RAS)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
भीण्डर